संख्या:04/2024/93ई-2/तेरह-2024-45/2014-249287

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 07 फरवरी, 2024

विषय:-11 गोरखा राईफल्स रेजिमेन्टल सेन्टर द्वारा दिनांक 09.02.2024 से 11.02.2024 तक लखनऊ में अपना प्लेटिनम जुबली समारोह में उपभोग की जाने वाली विदेशी मदिरा एवं बियर की प्रतिफल फीस में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-17/नौ-781 एफ/जी/अल्कोहल, दिनांक 26.01.2024 एवं पत्र संख्या:जी-18/नौ-781एफ/जी/अल्कोहल, दिनांक 02-02-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया सैन्य इकाई 11 गोरखा राईफल्स रेजिमेन्टल सेन्टर द्वारा दिनांक 09.02.2024 से 11.02.2024 तक लखनऊ में प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय प्रतिफल फीस रू. 1,50,897.03/-(रूपया एक लाख पचास हजार आठ सौ सत्तानवे एवं तीन पैसे) में 50 प्रतिशत अर्थात रू. 75,448.52 (रूपया पचहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस एवं बावन पैसे) की छूट अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करती हैं कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उपभोग उत्तर प्रदेश में चिन्हित स्थान एवं दिनांक पर ही किया जाएगा तथा विषयगत अनुमति शासनादेश संख्या-5481ई-2/तेरह-92-338(5)/82, दिनांक 22.12.1992 एवं शासनादेश संख्या-3115ई-2/तेरह-95-336(3)/82, दिनांक 30.10.1995 में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-**E-9-497-X-2023-24**, दिनांक 07-02-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
3. कर्नल आर.एस. रावत, उप कमाण्डेन्ट, 11, गोरखा राईफल्स रेजिमेन्टल सेन्टर किरांति लाईन्स, लखनऊ।
4. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in